New Man International Journal of Multidisciplinary Studies
(UGC Approved Journal No. 45886)
ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

26.

भारतीय–नारी विमर्ष

डॉ प्रभा अग्रवाल
प्राध्यापक वाणिज्य
शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना (म.प्र)

सारांष–

मानव समाज नर और नारी दोनों की सम्मिलित संरचना है तथा दोनों का ही योगदान सामाजिक ढ़ांचे को संवारने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

किसी भी देष का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास महिलाओं पर अधिक निर्भर करता है, तभी तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा – तुम मुझे योग्य माता दे दो मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा।

नारी का सम्मान करना एवं उसके हितों की रक्षा करना हमारे देष की सदियों पुरानी परंपरा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूज्यनीय और देवी तुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है कि देव षक्तियां वहीं पर निवास करती हैं जहां पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मध्यकाल का समय नारी जाति के लिए अंधकारमय हो गया इस काल में पर्दाप्रथा, सतीप्रथा, विवाह विच्छेद की समस्याऐं सामने आयी। 19वीं षताब्दी के सुधार आंदोलनों में 1828 में स्त्री अस्तित्व को प्रमुखता देने पर जोर दिया गया। समय–समय पर विभिन्न समाज सुधारको व षासन द्वारा नारी की दषा व दिषा सुधारने व सवारने के विभिन्न प्रयास किये गये व जारी हैं। वर्तमान में तीन तलाक को समाप्त करने हेतु एक विधेयक लोकसभा द्वारा पास किया गया है। अभी भी महिलाऐं समाज में पूरी तरह वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकी हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। कोई भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र तब सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक नारी के प्रति भेदभाव, निराषा, हीनभावना का त्याग नहीं करता।

'नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो,
विष्वास रजत नग पग तल में,
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुन्दर समतल में।

नारी भगवान की सर्वोत्तम रचना है। नारी की सूरत और सीरत की पाराकाष्ठा और उसकी महानता को मापना दुष्कर ही नहीं अपितु नामुमकिन है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यक जगत में नारी के विविध स्वरूपों का न केवल बाह्य अपितु अंतर्मन के गूढ़तम भाव सौंदर्यात्मक स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है। नारी प्रकृति एवं ईष्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत साध्य है, जिसे महसूस करने के लिए पवित्र साधन का होना जरूरी है। इसकी न तो कोई सरहद है और न ही कोई छोर, यह तो विराट स्वरूप है जिसके आगे स्वयं विधाता भी नतमस्तक होता है। यह अमृत वरदान होने के साथ–साथ दिव्य औषधि है। नारी ही वह सौंधी मिट्टी की महक है जो जीवन बगिया को महकाती है और न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र–निर्माण एवं विकास में अपनी महती भूमिका निभाती है। नारी के लिए यह कहा जाये कि यह – 'विविधता में एकता है' तो कोई अतिष्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि नारी के बाह्य स्वरूप सौंदर्य और पहनावे में विविधता तो होती है लेकिन उसके मानस में एकाकार और केंद्रीय शक्ति ईष्वर की तरह 'एक' ही होती है। इसी शक्ति के इर्द–गिर्द सूर्य और अन्य ग्रहों की भांति अनेक प्रकार के सद्गुण निरंतर गतिमान रहते हैं जैसे – विष्वास, प्रेम, करुणा, निष्ठा, दया, समर्पण, त्याग, बलिदान, ममता, शीतलता, स्नेह, कुषलता, कार्यपरायणता, सहनषीलता, मर्यादा, समता, सृजनषीलता और सहिष्णुता आदि। इन्हीं विविध शक्तियों के परिणाम स्वरूप महिलाओं का राष्ट्रनिर्माण और विकास में अद्भुत और अतुल्यनीय योगदान है।

प्राचीन भारत में धर्मषास्त्र परंपरा में नारी का उच्च स्थान है, कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास है – 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'

नारी को धन धान्य, विद्या, बुद्धि आदि से प्रतिष्ठित किया गया है। वेद नारी को अत्यन्त महत्वपूर्ण, गरिमामय उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की षिक्षा–दीक्षा, शीलगुण, कर्तव्य अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुन्दर वर्णन पाया जाता है वैसा संसार के अन्य किसी धर्मग्रन्थ में नहीं है। वेद उन्हें घर की सामग्री कहते हैं और देष की शासक, पृथ्वी की साम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञीय है अर्थात यज्ञ समान पूज्यनीय। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख–समृद्धि लाने वाली, विषेष तेज वाली, देवी विदूषी, सरस्वती, इंद्राणी, ऊषा जो सबको जगाती है इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिये हैं।

वैदिक काल में नारी अध्ययन अध्यापन से लेकर रणक्षेत्र में भी जाती थी। जैसे कैकेई राजा दषरथ के साथ युद्ध में गई थी। कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर वेद नारी को पुरुष से एकदम आगे ही रखते हैं। वेदों में नारी की झलक इन मंत्रों में दिखती है :–

यजुर्वेद 20.9

स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है।

यजुर्वेद 17.45

स्त्रियों की भी सेना हो स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करें।

यजुर्वेद 10.36

शासकों की स्त्रियां अन्यों को राजनीति की षिक्षा दें जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हों।

अथर्ववेद 14.1.20

हे पत्नी! हमें ज्ञान का उपदेष कर।

वधु अपनी विद्वता और शुभ गुणों से पति के घर में सबको प्रसन्न कर दें।

अथर्ववेद 7.38.4 और 12.3.52

सभा और समीति में जाकर स्त्रियां भाग लें और विचार प्रकट करें।

वैदिक काल में नारी को पुरुष की सहभागिनी माना जाता था। उस समय की महिलाओं के बारे में मनु ने लिखा है – कि वैदिककाल में महिलायें देवी के रूप में सम्मानित की जाती थीं। उत्तरवैदिक युग अथवा महाकाव्य के काल में वैदिक युग की अपेक्षा स्त्रियों का समाज में स्तर गिरता जा रहा था। श्री सत्यमिश्र दुबे का कहना है कि – भारतीय समाज में नारी की स्वतंत्रता का अपहरण, विवाहों की रूढ़ीवादिता, बालविवाहों का प्रचलन एवं वैवाहिक स्थिति के साथ प्रभावित अन्य बुराइयों का विकास कुछ विषेष सामाजिक परिस्थितियों की देन है। आरंभिक दिनों में वर्ण शंकरता की समस्या पर अंकुष लगाने के लिए नारी के जीवन पर अनेक नियंत्रण लगाये गये।

मध्यकाल का समय नारी जाति के लिए अंधकारमय हो गया। इस काल में पर्दाप्रथा, बालविवाह, सतीप्रथा, विवाह विच्छेद की समस्यायें सामने आयीं। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में 1828 में स्त्री के अस्तित्व को प्रमुखता देने पर जोर दिया गया। राजाराम मोहनराय ने ब्रह्म समाज की स्थापना इसी उद्देष्य को प्रमुखता देते हुए की। 1829 में ईष्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह अधिनियम पास कराया। 1902 तक आते आते स्त्री कुछ क्षेत्रों में नौकरी करने लगी।

20वीं शताब्दी में गांधीजी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारत में अनेक समाज सुधारकों का ध्यान स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर गया। आधुनिक काल में

मैथलीषरण गुप्त ने चिरपीड़ा एवं कष्ट को नारी की नियति मानकर उसके प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि –

अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी।

आंचल में है दूध, और आंखों में पानी।।

समय के साथ समाज सुधारकों व शासन का ध्यान नारी की दयनीय स्थिति पर गया। संविधान निर्माताओं ने नारी कल्याण के लिए राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा देते हुए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है। संविधान में मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देषक तत्वों के अन्तर्गत इनके हितों के संरक्षण के प्रावधान हैं। सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं के लिये सर्वसम्पन्नता और विकास हेतु नये विकल्प के रूप में भोजन, पानी, घर, षिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सुविधाएं, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास के लिये पर्याप्त रचनात्मक अवसर देने का प्रयास किया गया है।

इतना सब होने पर भी महिलाएं प्रतिदिन अत्याचारों और षोषण का षिकार हो रही हैं। नारी मानवीय क्रूरता एवं हिंसा से ग्रसित हैं। महिलाएं समाज में पूरी तरह वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकी हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। दहेज की वजह से कितनी बहू बेटियों को हाथ धोने पड़ते हैं तथा बलात्कार आदि की घटनायें भी होती रहती हैं।

डॉ प्रतिभा त्रिपाठी का कहना है कि – आज नारी गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है, तब धरती पर जन्म लेकर अपने व्यक्तित्व को बनाये रखने में देष का संविधान, कानून उसे कितना सुरक्षा प्रदान करेगा।

आज नारी एक व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है और इस ओर कदम आगे बढ़ रहे हैं। नारी सिर्फ एक पत्नी, एक मां, एक बहन, या एक बेटी के रोल तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं समाज की सक्रिय सदस्य बनना चाहती हैं। मानव समाज की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक गलतियों में से एक मुख्य गलती यह है कि आज तक भारतीय नारी के साथ समानता व न्याय का व्यवहार नहीं हुआ है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिष्चित करने का निष्चय किया कि सभी को स्वतंत्रता के साथ असवर की समानता का अवसर मिल सके। संसद में महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतु 50 प्रतिषत आरक्षण की मांग की जा रही है। इससे आधी दुनिया कही जाने वाली महिलाओं की दषा में सुधार आयेगा।

महिला जगत का सर्वांगीण विकास सषक्तिकरण द्वारा ही हो सकता है। सषक्तिकरण किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी कुरीतियों, रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त होने की क्षमता का विकास होगा और वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकेंगी।

इस हेतु जरूरी हैः–

1 **कुप्रथाओं को मारना –**
भारत में महिलाओं को सषक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में फैली, उनके अधिकारों और मूल्यों को मानने वाली उन सभी कुप्रथाओं को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, असमानता, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन षोषण, बाल मजदूरी, वैष्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय।

2 **लैंगिक समानता –**
लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और षैक्षिक अंतर ले आता है जो देष को पीछे की ओर धकेलता है। भारत के संविधान में लिखे गये समानता के अधिकार को सुनिष्चित करने के लिए महिलाओं को सषक्त करना सबसे प्रभावषाली उपाय है। लैगिंक

समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में नारी सषक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचलित एवं प्रसारित करना चाहिए।

3 **महिलाओं के प्रति सुविकसित नजरिया–**

महिलायें षारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों, इसमें परिवार की अहम भूमिका है। एक बेहतर षिक्षा की षुरूआत बचपन से घर पर ही हो सकती है। महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ्य परिवार की जरूरत है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता–पिता अषिक्षा, गरीबी और क्रूर कुरीतियों की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने की रूढ़ी का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यहार, भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार सारे कदम उठा रही है। अनेक नये कानून महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए बने हैं। गैर सरकारी संस्थान भी इस दिषा में प्रयासरत हैं। महिला सषक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी षिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें महिलाओं के प्रति नजरिये को भी सुविकसित करना होगा।

4 आध्यात्मिकता – नारी के सर्वांगीण विकास में आध्यात्मिकता की भी अहम भूमिका है अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी रूपों में पूर्ण विकसित होकर वह स्वयं का और परिवार का भी उद्धार कर सकती है तथा समाज उत्थान के कार्य में भी सहयोगी बनती है।

5 स्वास्थ्य के प्रति जागरूक – शारीरिक दृष्टि से महिलाओं को स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य के नियमों का उन्हें ज्ञान हो ताकि वे स्वयं के साथ–साथ बच्चों को, परिवार को संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक पोषण प्रदान करें। स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें ताकि मच्छर मक्खी और रोग फैलाने वाले कीटाणु न फैलें। जब प्रत्येक महिला घरपरिवेष के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगी तभी स्वच्छ, स्वस्थ्य समाज हो पायेगा।

6 चारित्रिक सुन्दरता – सादा जीवन उच्च विचार

आज इस बात की आवष्यकता है कि नारी अपनी सच्ची स्वतंत्रता को पहचाने, अपना चरित्र उज्ज्वल बनायें। सादा जीवन, उच्च सकारात्मक विचार एवं आध्यात्मिकता के पालन से नारी का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, उसकी भावात्मकता स्थिरता बढ़ती है जिससे वह भयमुक्त बनकर अपने परिवार और देष के भविष्य के प्रति सही निर्णय लेने में सक्षम होती है।

7 पुरुषों की सोच में परिवर्तन – पुरुषों की सोच में परिवर्तन की व्यापक रूप से आवष्यकता है। सोच में यह परिवर्तन केवल सरकारी योजनाओं तथा कानूनों से संभव नहीं हो सकता है इसमें जनता की व्यापक सहभागिता आवष्यक है। लोगों में जन जागरूकता आवष्यक है।

आज जरूरत है नारी को समय की मुख्य धारा के जोड़ने की आज भी नारी ममतामयी है, त्यागमयी है। नारी त्याग और साधना के बलबूते पर समाज के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है। वह पढ़ी–लिखी है, आत्मनिर्भर है अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत संघर्षरत है। समाज में नारी की निस्वार्थ सेवा हर क्षेत्र में है। महिलाओं हित में विधेयक लाना तथा सरकार द्वारा उनके विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाना उचित है लेकिन सर्वाधिक आवष्यकता है इसे एक सामाजिक आंदोलन बनाने की। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अतीत में जिस प्रकार के आंदोलन हुए थे वैसे आंदोलन आज नहीं हो रहे हैं। समाज के प्रति निष्ठावान, उत्साही लोगों व संगठनों को इस दिषा में आगे बढ़ना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देष के विकास को महिला विकास से संबंधित करते हुए कहा है कि – यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1 यादव वीरेन्द्र सिंह – नई सहस्त्राब्दी का महिला सषक्तिकरण अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार, ओमेगा पब्लिकेषन दिल्ली 2010
2 राष्ट्रीय निर्माण और विकास में महिलाओं की भूमिका नेट पर लेख 2 अप्रैल 2017 डॉ प्रदीप कुमार ''दीप''
3 महिला विकास कार्यक्रम (2002) इनाश्री पब्लिषर्स, जयपुर, डॉ आषु रानी वेदों में नारी का महत्व लेख 8 जनवरी 2017, काजल पटेल
4 घरेलू हिंसा और भारतीय नारी, आचार्य नरेन्द्र देव अनुसंधान संस्थान, नैनीताल 4–5 डॉ प्रतिभा त्रिपाठी
5 नारी का सर्वांगीण विकास – लेख ब्रह्म कुमारी डॉ सविता पेज 20–21 नवम्बर 2017

❑❑❑